न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर केम्प कोर्ट तबीजी

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 53 / 2021

1. श्री छोटू पुत्र श्री बचना
2. श्री जगदीश पुत्र श्री बचना
3. श्री गणेश पुत्र श्री बचना
4. संतोष पुत्री श्री भंवरलाल
5. कैलाश पुत्र श्री भंवरलाल

समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131,132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 16.12.2021

आदेश

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान ग्राम पंचायत तबीजी में मजमेंआम पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक उपस्थित। पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर उपस्थित। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी,काश्तकारी की आराजीयात ग्राम तबीजी तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जिसमें आराजी खता संख्या 502 खसरा नम्बर 2137 रकबा 1 बीघा 2विस्वा 10 विस्वान्सी किस्म चाही 1 एवं खसरानम्बर 2141 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा 10 विस्वान्सी चाही 1 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा 4 बिस्वान्सी की जरिये गणपतलाल पुत्र श्री रामचन्द्र महाजन से खरीद की गई, तब से प्रार्थीगण काबिल काश्त है तथा प्रार्थी हाल खसरा नम्बर 2137, 2138 है। उपरोक्त कृषि भूमि की

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण संख्या 5844 दिनांक 20.11.1967 से आज अमल दरामद किया गया जमाबंदी मूर्तिब की गई। उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी सम्वत 2022–2025 में उक्त का अमल दरामद किया गया तथा उक्त अमल दरामद प्रार्थीगण के पिता व दादा श्री सवाई जाति सवाई निवासी ग्राम तबीजी के नाम दर्ज किया गया । उक्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात अधिकार अभिलेख में जमाबंदी में बिल्कुल सही रूप से खातेदार दर्ज है जिसमें किसी प्रकार का कोई उज्र नही है। परन्तु उपरोक्त खातेदारी के संदर्भ में जो राजस्व मानचित्र में सन् 2041 व 2042 बनाया गया है वह बिल्कुल सही है। परन्तु वर्तमान नक्शा ट्रेस 1971–72 बनाया गया है लेकिन वर्तमान सेटलमेंट विभाग द्वारा भू–प्रबध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर 2102 का हाल खसरा नम्बर 2138 को भू–प्रबंघ विभाग द्वारा रास्ता बताया गया है जबकि उक्त रास्ते में खसरा नम्बर 2138 में कही भी रास्ता नही है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि को भू प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 2139 कृषि भूमि है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 2138 को खसरा नम्बर 2140 व 2139 अंकित कर दिया गया जबकि उक्त खसरा नम्बर 2140 व 2139 पर आज भी प्रार्थीगण काबिज काश्त है कृषि भूमि में गलत अंकन होने के कारण प्रार्थी की भूमि पर हाल जमाबंदी में खसरा नम्बर 2138 तो दशाई गई है लेकिन नक्शा दुरूस्ती में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को गहरा मानसिक आझात लगा है। अतः प्रार्थीना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस सन् 2071–72 को नक्शा ट्रेस 2041–2 के अनुसार दुरूस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किया जावे एवं खसरा नम्बर 2138 की जगह प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 2140 व 2139 के खरा नम्बर के आदेश फरमाये।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

तहसीलदार अजमेर ने दोराने केम्प जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम तबीजी के खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.18 के राजस्व मानचित्र दुरूस्ती गत राजस्व मानचित्र संवत 2041–42 (1349 फसली) के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.18 राजस्व मानचित्र अनुसार रास्ते के रूप में दर्शाया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर 2138

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

गत वर्किंग खसरा नम्बर 2102 के राजस्व मानचित्र में भी रास्ते के रूप में दर्शाया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बर के चौसाला खसरा नम्बर 2137 के राजस्व मानचित्र अनुसार प्रार्थीगण की आराजी को रास्ते के रूप में अंकित नही है तथा उक्त रास्ते से लगते हुए खेत के रूप में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण चौसाला खसरा नम्बर 2137 के राजस्व मानचित्र में दर्शाये अनुसार हाल खसरा नम्बर 2138 के राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती चाही है। चौसाला राजस्व मानचित्र अनुसार वर्किंग 1971–72 तथा हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 2138 रास्ते के रूप में दर्शित है। गत खसरा नम्बर 2137 को हाल खसरा नम्बर 2139 के स्थान पर प्रतिस्थापित राजस्व मानचित्रो के अनुसार होता है। हाल खसरा नम्बर 2139 रकबा 0.10 के जमाबंदी अनुसार खातेदार चन्दशेखर पुत्र प्रेमराज व सीता देवी पत्नि प्रेमराज के नाम अंकन दंर्ज है। वाछित शुद्वि अनुसार खसरा नम्बर 2139 का चौसाला खसरा नम्बर 2204 रास्ते के रूप में अंकित है। ऐसी स्थिति में खातेदारान के नाम दर्ज खसरा नम्बर 2139 रास्ते के खसरा नम्बर 2138 के स्थान पर परस्पर परिवर्तित होते है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया गया । पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार अजमेर की मुताबिक रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण द्वारा ग्राम तबीजी के खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.18 के राजस्व मानचित्र दुरूस्ती गत राजस्व मानचित्र संवत 2041–42 (1349 फसली) के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में हाल खसरा नम्बर 2138 रकबा 0.18 राजस्व मानचित्र अनुसार रास्ते के रूप में दर्शाया गया है तथा उक्त खसरा नम्बर 2138 के गत वर्किंग खसरा नम्बर 2102 के राजस्व मानचित्र में भी रास्ते के रूप में दर्शाया गया है परन्तु उक्त खसरा नम्बर के चौसाला खसरा नम्बर 2137 के राजस्व मानचित्र अनुसार प्रार्थीगण की आराजी को रास्ते के रूप में अंकित नही है तथा उक्त रास्ते से लगते हुए खेत के रूप में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण चौसाला खसरा नम्बर 2137 के राजस्व मानचित्र में दर्शाये अनुसार हाल खसरा नम्बर 2138 के राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती चाही है। चौसाला राजस्व मानचित्र अनुसार वर्किंग 1971–72 तथा हाल राजस्व मानचित्र में खसरा नम्बर 2138 रास्ते के रूप में दर्शित है। गत खसरा नम्बर 2137 को हाल खसरा नम्बर 2139 के स्थान पर प्रतिस्थापित राजस्व मानचित्रो के अनुसार होता है। हाल खसरा नम्बर 2139 रकबा 0.10 के जमाबंदी अनुसार खातेदार चन्दशेखर पुत्र प्रेमराज व सीता देवी पत्नि प्रेमराज के नाम अंकन दर्ज है। वाछित शुद्वि अनुसार

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 2139 का चौसाला खसरा नम्बर 2204 रास्ते के रूप में अंकित है। ऐसी स्थिति में खातेदारान के नाम दर्ज खसरा नम्बर 2139 रास्ते के खसरा नम्बर 2133 के स्थान पर परिवर्तित होते है। अतः ग्राम तबीजी के खसरा नम्बर 2139 रास्ते के खसरा नम्बर 2133 के स्थान पर परस्पर परिवर्तित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन, विषलेशण अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 16.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner